



प्रेषक,

सोमनाथ,

संयुक्त सचिव,

उ०प्र०शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उ०प्र०, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 23 मार्च, 2026

विषय - वित्तीय वर्ष 2025-26 में आर०आई०डी०एफ० योजना के अन्तर्गत अनुदान सं०-57/83 मद में विभिन्न मण्डलों में विभिन्न जनपदों के 06 सेतु (03 आर०ओ०बी० एवं 03 दीर्घ सेतु) के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र(निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आर०आई०डी०एफ० योजनान्तर्गत विभिन्न मण्डलों में विभिन्न जनपदों के 06 सेतु (03 आर०ओ०बी० एवं 03 दीर्घ सेतु) के चालू कार्यों हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹0 7315.68 लाख (जिसमें अनुदान सं०-57 से ₹0 5764.02 लाख एवं अनुदान सं०-83 से ₹0 1551.66 लाख की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका (आर०ओ०बी०)

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र.	मुख्य अभियंता (सेतु) का पत्र	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल स्वीकृति का शासनादेश संख्या व दिनांक	स्वीकृत मूल लागत(सेतु निगम अंश+ रेल अंश सहित)/ संशोधित स्वीकृत लागत(सेतु अंश)/ प्राविधिक स्वीकृति लागत	रेलवे का अंश	बचत	उपरान्त कार्य की कुल लागत (रेलवे अंश को छोड़कर)	अब तक आवंटन	अद्यतन अवशेष (रेलवे अंश को छोड़कर)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि		
											अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	20244/CE-SEB/NABAR D(BRIDGE)/AGR/2025-26 Dt- 19-03-2026	सेतु निगम मथुरा	जनपद मथुरा में कोसी-नंदगांव-बरसाना गोवर्धन-सौंख-मथुरा मार्ग पर उत्तर मध्य रेलवे के मथुरा-अलवर रेल सेक्शन के किमी0-1423/4-5 के सम्पार संख्या-22 सी पर 4 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य।	256/2025/2255/001-23-9002(002)-93-2025-दिनांक-20-12-2025	15072.03	2607.18	0.00	10548.10	4362.70	6185.40	2380.22	640.75	3020.97
					12464.85								
					10548.10								
2	20307/CE-SEB/NABAR	सेतु	जनपद संतकबीर	250/2025/2255/	6414.30 5003.70	1410.60	0.00	4970.38	1751.30	3219.08	2340.50	630.06	2970.56

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	D(BRIDGE)/BAS/2025-26 Dt- 22-03-2026	निगम नगर में मगहर संतक शहर से बीरन गर	अशरफाबाद मार्ग पर पूर्वोत्तर रेलवे के मगहर खलीलाबाद संतकबीरनगर रेलवे सेक्शन के अन्तर्गत किमी 531/1-2 पर रेल सम्पार सं0-173(मगहर याई) पर 02 लेन रेल उपरिगामी निर्माण कार्य	001-23-9002(002)-98-2025-दिनांक-19-12-2025	4970.38								
3	20125/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/VNS/2025-26 Dt- 18-03-2026	सेतु निगम जौनपुर	जनपद जौनपुर में वाराणसी-जफराबाद रेल खण्ड पर जलालगंज और सिकोनी रेलवे स्टेशन के मध्य किमी0- 811/29-30 पर रेलवे क्रॉसिंग सं0-30 सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य।	243/2025/2215/001-23-9002(002)-95-2025 दिनांक 15/12/2025	3947.27 2202.47 2199.63	1744.80	0.00	2199.63	770.86	1428.77	605.80	163.08	768.88
			योग								5326.52	1433.89	6760.41

तालिका(दीर्घ सेतु)

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र.	मुख्य अभियंता (सेतु) का पत्र	खण्ड /जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / प्राविधिक लागत	बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष (प्राविधिक लागत के सापेक्ष)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	20193/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/LKO/2025-26 Dt- 19-03-2026	सेतु निगम हरदोई	गरी नदी पर नसीली गोपानसीली पनसाली सम्पर्क मार्ग पर सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	07/2024/27/001-23-9002(002)-13-2023-दिनांक-05-01-2024	2517.74 2517.74	0.00	2517.74	2139.74	378.00	198.64	53.47	252.11
5	20245/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/ALU/2025-26 Dt- 19-03-2026	सेतु निगम अली गढ़	आलमपुर-सांकरा मार्ग(एम0डी0आर0-82) पर निचली गंगा नहर व समानान्तर निचली गंगा नहर पर सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण	294/2023/2727/01-23-9002(002)-55-2023-दिनांक-22-12-2023	1525.26 1450.54	0.00	1450.54	1375.82	74.72	58.87	15.85	74.72
6	20306/C	सेतु	जनपद अयोध्या	264/2	1130.13	0.00	1113.71	565.07	548.64	179.99	48.45	228.44

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

E-SEB/NA BARD(B RIDGE/ ADY/20 25-26 Dt- 22- 03-2026	निगम अयो ध्या	में विधानसभा क्षेत्र बीकापुर में तमसा नदी पर नेवादा बिबियापुर मार्ग पर सेतु पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	025/2 241/0 01-23- 9002(002)- 85- 2025- दिनांक- 20-12- 2025	1113.71								
		योग								437.50	117.77	555.27
		योग(तालिका- क+ख)								5764.02	1551.66	7315.68

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (2) नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- (3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (4) वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/ 2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
- (6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
- (7) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।
- (8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि विश्वकर्मा पोर्टल पर अपलोड आवश्यक सूचनाओं का परीक्षण पुनः कर लिया जायेगा। यदि सूचनाओं में कोई विसंगति होती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा इस विसंगति के लिए मुख्यालय/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 57,64,02,000(रुपये सत्तावन करोड चौसठ लाख दो हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041013400 नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्य हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 15,51,66,000 (रुपये पन्द्रह करोड इक्यावन लाख छ्छठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891600 नाबार्ड पोषित आर0आई0 डी0एफ0 के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

संख्या-78/2026/ आई/1277132/2026(1)/008-23-9-2026-23-9002-002-12-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ०प्र० प्रयागराज ।
- 2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
- 5- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, लखनऊ।
- 8- प्रबंधक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, लखनऊ।
- 9- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 10- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 11- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 12- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
- 13- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
- 14- राज्य योजना आयोग अनुभाग 1/2
- 15- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 16- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०।
- 17- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
- 18- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।